



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062021-227297
CG-DL-E-01062021-227297

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1969]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 2021/ज्येष्ठ 11, 1943

No. 1969]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 2021/JYAISTHA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

का.आ. 2122(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय रुद्रप्रयाग (NH58) के कि.मी 355 से 368 उत्तराखंड राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH58 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	एडीएम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH58 के कि.मी. 355 से 368 तक	उत्तराखंड	रूद्र प्रयाग	रूद्रप्रयाग	1	नर्कोटा
						2	पुनाड
						3	रैतौली
						4	नाकोट

[फा. सं. RO/UK/NH58-UR-2017-18-512/LA/3a]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2021

S.O. 2122(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 355 to 368 of DISTRICT MEGISTRATE OFFICE RUDRAPRAYAG (NH58) in the State of UTTARAKHAND.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH58 in the State of UTTARAKHAND.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	ADM	355KM To 368KM	UTTARAKHAND	RUDRA PRAYAG	Rudraprayag	1	Narkota
						2	Punad
						3	Raitoli
						4	Nakot

[F. No. RO/UK/NH58-UR-2017-18-512/LA/3a]

RAJESH GUPTA, Director